

Report on Social Audit of Mid-Day-Meal in Rajasthan

Social Audit Period: Year 2022-2023



मध्याह्न भोजन योजना

By:

**Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT),
Govt. of Rajasthan.**

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-227033

WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in



क्र.सं.	विषय वस्तु	पेज न.
1	परिचय	4
	1.1 सामाजिक अंकेक्षण- उद्देश्य	4
	1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	5
2	राजस्थान में मिड-डे-मिल योजना	6
3	सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	8
4	सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया	9
	4.1 मिड-डे-मिल योजना के सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य	9
	4.2 मिड-डे-मिल योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र	10
	4.3 जिलेवार सामाजिक अंकेक्षण की सूची	11
	4.4 सूचनाओं का अभिलेखन	12
5	सामाजिक अंकेक्षण आंकलन एवं विश्लेषण	13
	5.1 अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताएँ/ कमियों के बिन्दु	13
	5.2 कुल 755 विधालयों की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओं का प्रतिशत	14
	5.3 वर्ष 2022-2023 में विभिन्न जिलों के स्कूल का सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का पाईचार्ट	15
6	ग्राम पंचायतवार स्कूलों में पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण	19

1-परिचय

1.1 सामाजिक अंकेक्षण- उद्देश्य

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही "सामाजिक अंकेक्षण" है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं— एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता—दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ती करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मजदूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009-10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। MGNREGA के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार हैं—



1.2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015/2021/MGNREGA Vii/pt- दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में SSAAT के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में SSAAT का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/ 104900 दिनांक 20.08.2019 है। SSAAT की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई SSAAT का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड-डे-मिल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।



2. राजस्थान में मिड-डे-मिल योजना


मिड डे मील कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवृत्तित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू की गई। इसके पश्चात सितम्बर, 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यु आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना एवं ए.आई.ई.सेंटर, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, MGNREGA के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे।


वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई- सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, एन.एस.ए.पी तथा, पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न की लागत, परिवहन सहायता एवं प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) पर होने व्यय का 100 प्रतिशत वहन किया जायेगा, तथा रसोईयां-सह-सहायकों को मानदेय और रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई के उपकरण, रसोई-सह-भंडार की मरम्मत ईत्यादी पर होने वाले व्यय को भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जायेगा ।

MDM Management Structure at State Level



MDM Implementation Structure



राजस्थान राज्य में मिड डे मिल की नोडल एजेंसी के रूप में **स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार** कार्य कर रहा है । मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत आने वाले इन स्कूलों और केंद्रों की कुल संख्या इस प्रकार है:

Govt.+Local Body	Govt. Aided	STC Centers	Madarsas	Total
64359	0	485	1649	66493

3. सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-28 के प्रावधानों के अनुसार जनउपयोगी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण का कार्य स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधान की अनुपालना में मिड-डे-मील योजना की गाइड लाइन में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिड-डे-मील स्कीम मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश:-

क्रमांक F5-35/2013/MDM 1.1 दिनांक 03.07.2014 (CP 19) तथा कार्यक्रम आयुक्त मिड-डे-मील के पत्र क्रमांक F04(58) की प्रा.शि./एमडीएम/मिड-डे-मील सोशल ऑडिट/2013-2014/727 दिनांक 28.01.2022 एवं क्रमांक F04(58) राज/प्रा.शि./एमडीएम/मिड-डे-मील सोशल ऑडिट/2013-2014/820 दिनांक 15.11.2022 के निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना की सामाजिक अंकेक्षण के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में स्थित स्कूलों में संचालित मिड-डे-मील योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाना प्रारंभ किया गया है इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक स्कूल में मिड-डे-मील योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण 2022 से प्रारंभ किया गया है।

4. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया

सर्वप्रथम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाया जाता है उसके उपरान्त कार्ययोजना के अनुसार माहवार कलैण्डर जारी किया जाता है। तदनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्देशों के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण दलों का गठन जिसमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बी.आर.पी.) एवं पांच ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) का गठन किया जाता है। बी.आर.पी. द्वारा संबंधित विद्यालय से अंकेक्षण अवधि का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। रिकॉर्ड की जाँच की जाती है साथ ही योजना के क्रियान्वयन सम्बंधित गतिविधियाँ का अंकेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। जाँच दौरान पाई गई अनियमितताओं की एक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बना कर ग्राम सभा के दिन जाँच दल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा से अनुमोदित रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट/संबंधित योजना के पोर्टल/गूगल लिंक पर अपलोड की जाती है।


4.1 मिड-डे-मिल योजना के सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है मिड-डे-मिल योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने वाले स्थानीय हितधारकों की क्षमता में सुधार करना है। सामाजिक लेखापरीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. यह सत्यापित करने के लिए कि एनएफएसए 2013 के तहत विद्यालय में बच्चों के अधिकारों की जो गारंटी दी गई है वह विद्यालय में **समय पर एवं न्यायसंगत** तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है।
2. स्कूल में **छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति में ठहराव** की जांच करना।
3. यह जांचने के लिए कि विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों को **सभी दिनों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध** कराया जाता है।
4. यह सत्यापित करने के लिए कि बच्चों या अन्य किसी योजना के हितधारक के साथ **कोई भेदभाव नहीं** है।
5. **खाद्यान्नों और निधियों के समय पर आवंटन और उपयोग** का सत्यापन करना।
6. मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के **क्रियान्वयन** की जांच करना।
7. **बुनियादी ढांचे** (रसोई-सह-भंडार, रसोई, उपकरण, खाने के बर्तन, स्कूल पोषण उद्यान, पीने का पानी आदि) की **स्थिति की जांच** करने के लिए।
8. विद्यालय विकास के प्रति **सहभागी दृष्टिकोण विकसित** करना।

4.2 मिड-डे-मिल योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के अनुसार मिड-डे-मिल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में कुल 11301 स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया, जिनका संभागवार विवरण निम्नानुसार है:-



संभाग	अंकेक्षित विधालयों की संख्या
बीकानेर	1285
कोटा	826
भरतपुर	1052
उदयपुर	2170
जयपुर	1961
जोधपुर	2548
अजमेर	1459
कुल	11301

4.3 जिलेवार सामाजिक अंकेक्षण की सूची –

क्र. सं	जिले का नाम	कुल विधालयो की संख्या	अंकेक्षित विधालयो की संख्या
1	अजमेर	1890	325
2	अलवर	2883	574
3	बांसवाड़ा	2707	418
4	बारां	1313	232
5	बाड़मेर	4954	689
6	भरतपुर	1781	401
7	भीलवाड़ा	2930	398
8	बीकानेर	1989	367
9	बूंदी	1292	184
10	चित्तौड़गढ़	1845	298
11	चुरु	1461	304
12	दौसा	1572	288
13	धौलपुर	1170	185
14	डूंगरपुर	2257	353
15	हनुमानगढ़	1942	275
16	श्रीगंगानगर	1108	339
17	जयपुर	3677	602
18	जैसलमेर	1285	206
19	जालौर	1947	306
20	झालावाड़	1747	254
21	झुंझुनू	1588	329
22	जोधपुर	3565	629
23	करौली	1447	241
24	कोटा	1173	156
25	नागौर	3151	500
26	पाली	1815	341
27	प्रतापगढ़	1384	235
28	राजसमंद	1691	214
29	सवाईमाधोपुर	1065	225
30	सीकर	1961	168
31	सिरोही	934	377
32	टोंक	1579	236
33	उदयपुर	3913	652
	योग	67016	11301

4.4 सूचनाओं एवं अभिलेखों का संकलन

1 प्राइमरी डेटा

प्रश्नावली, के माध्यम से माता-पिता, शिक्षकों, छात्रों, स्कूल के सदस्यों, प्रबंधन समुदाय, कुकिंग स्टाफ और अन्य जो इस एमडीएमएस में शामिल हैं, के साथ साक्षात्कार और समूह चर्चा के माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।

2 सेकेंडरी डेटा

मध्याह्न भोजन योजना के सामाजिक लेखापरीक्षा के सरकारी दिशानिर्देश, स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रजिस्टर इत्यादि जैसे प्रासंगिक डेटा मुख्यालय (एमडीएम अनुभाग, राज्य मुख्यालय), डीईओ कार्यालय (जिला प्रमुख) बीईओ कार्यालय (मंडल मुख्यालय), खाना पकाने की एजेंसी और स्कूल आदि से एकत्र किए गए थे।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु जारी प्रपत्रों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के बिन्दु हैं—

- स्कूल मैनेजमेंट / विकास कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका
- किचन कम स्टोर की उपलब्धता
- खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर
- एमडीएस रजिस्टर
- कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान पंजिका
- छात्र उपस्थिति रजिस्टर
- खाद्यान्न कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स
- बजट रजिस्टर
- मिड-डै-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्धता
- एमएमसी / एसडीएमसी की नियमित की स्थिति
- पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति
- आपतकालीन मेडिकल सुविधा की स्थिति
- पोषाहार के मात्रा की स्थिति
- गुणवत्ता / पोष्टिकता की स्थिति
- किचन कम स्टोर की सुरक्षा एवं स्वच्छता की स्थिति
- पोषाहार से संबंधित अन्य सामान के सुरक्षित स्टोर एवं स्टॉर की स्थिति
- पानी की उपलब्धता की स्थिति
- पोषाहार से संबंधित बर्तनों की स्थिति
- विद्यालय स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति
- पोषाहार की समय पर उपलब्धता

5. सामाजिक अंकेक्षण आंकलन एवं विश्लेषण

5.1 अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताएँ/ कमीयो के बिन्दु –

वर्ष 2022–23 में विभिन्न जिलो के स्कूलो का सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त सैम्पल के तौर पर 755 अंकेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया अंकेक्षण रिपोर्ट में मुख्यतः निम्न कमिया पाई गई—

- स्कूल में मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजीका नही है।
- स्कूल में किचन कम स्टोर की उपलब्धता नही है।
- स्कूल में खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही है।
- स्कूल में कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नही है।
- स्कूल में छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण नही है।
- स्कूल में खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नही है।
- स्कूल में बजट रजिस्टर का संधारण नही है।
- स्कूल में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नही है।
- स्कूल में पोषाहार का बच्चो को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति नही है।
- स्कूल में आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नही है।
- स्कूल में पोषाहार की मात्रा में कमी है।
- स्कूल में गुणवत्ता/पोष्टिकता की स्थिति में कमी है।
- स्कूल में स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही है।
- स्कूल में पानी की उपलब्धता की स्थिति में कमी है।
- स्कूल में पोषाहार से संबंधित बर्तनों की स्थिति कमी है।
- स्कूल में विद्यालय स्तर पर छात्रो के स्वास्थ्य की सुविधा की स्थिति में कमी है।
- स्कूल में पोषाहार की समय पर उपलब्धता नही है।
- स्कूल में जागरूकता अभियान नही होता है।


5.2 755 विद्यालयों की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पायी गई अनियमितताओं का प्रतिशत –

क्र.सं.	अनियमितताएँ	प्रतिशत
1	स्कूल में मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका का संधारण का अभाव	1.06
2	स्कूल में किचन कम स्टोर की उपलब्धता का अभाव	3.44
3	स्कूल में खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण का अभाव	0.93
4	स्कूल में कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका के संधारण का अभाव	2.65
5	स्कूल में छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण का अभाव	0.26
6	स्कूल में खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स की अनुपलब्धता	1.59
7	स्कूल में बजट रजिस्टर का संधारण का अभाव	7.81
8	स्कूल में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध की अनुपलब्धता	9.14
9	स्कूल में पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति का अभाव	0.93
10	स्कूल में आपातकालिन मेडिकल की सुविधा की अनुपलब्धता	3.44
11	स्कूल में पोषाहार के मात्रा में कमी	0.40
12	स्कूल में गुणवत्ता/पौष्टिकता में कमी	0.13
13	स्कूल में स्टॉक रजिस्टर का संधारण का अभाव	0.26
14	स्कूल में पानी की उपलब्धता की कमी	0.26
15	स्कूल में पोषाहार से संबंधित बर्तनों की कमी	0.26
16	स्कूल में विद्यालय स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य की सुविधा की स्थिति में कमी	0.93
17	स्कूल में पोषाहार की समय पर उपलब्धता नहीं	0.40
18	स्कूल में जागरूकता अभियान नहीं	1.06

5.3 वर्ष 2022–23 में विभिन्न जिलो के स्कूलो का सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त सैम्पल के तौर पर 755 अंकेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया अंकेक्षण रिपोर्ट में मुख्यतः निम्न कमिया पाई गई—


- रिकॉर्ड रजिस्टर एवं पंजिकाओं का संधारण

रिकॉर्ड रजिस्टर एवं पंजिकाओं का संधारण	नहीं	हाँ	%
मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका कं संधारण का अभाव	8	747	1.06
खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण	7	748	0.93
स्टाक रजिस्टर का संधारण	2	753	0.26
बजट रजिस्टर का संधारण	59	696	7.81
कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पजिका के संधारण	20	735	2.65
छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण का अभाव	2	753	0.26




- भवन एवं अन्य सहायक सामग्री की उपलब्धता

भवन एवं अन्य सहायक सामग्री की उपलब्धता विवरण	नहीं	हाँ	%
किचन कम स्टोर की उपलब्धता	26	729	3.44
मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध की उपलब्धता	69	686	9.14
पोषाहार से संबंधित बर्तनों की उपलब्धता	2	753	0.26




- जागरूकता संबंधी

जागरूकता संबंधी	नहीं	हाँ	%
जागरूकता अभियान	8	747	1.06




- पोषाहार मात्रा, गुणवत्ता एवं उपलब्धता संबंधी जानकारी

पोषाहार मात्रा, गुणवत्ता एवं उपलब्धता संबंधी जानकारी	नहीं	हाँ	%
पोषाहार का बच्चो को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति	7	748	0.93
पोषाहार की समय पर उपलब्धता	3	752	0.40
पोषाहार के मात्रा	3	752	0.40
गुणवत्ता / पौष्टिकता	1	754	0.13
पानी की उपलब्धता	2	753	0.26




- स्वास्थ्य सुविधा संबंधी व्यवस्था

स्वास्थ्य सुविधा संबंधी व्यवस्था का विवरण	नहीं	हाँ	%
विद्यालय स्तर पर छात्रो के स्वास्थ्य की सुविधा की स्थिति	7	748	0.93
आपातकालिन मेडिकल की सुविधा की उपलब्धता	26	729	3.44



- व्यय के बिल एवं वाउचर्स

व्यय के बिल एवं वाउचर्स विवरण	नहीं	हाँ	%
खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स की उपलब्धता	12	743	1.59



6. ग्राम पंचायतवार स्कूलों में पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत	अनियमितता		
1	अजमेर	भिनाय	बान्दनवाड़ा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।		
			किशनगढ	खातौली	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।	
				हरमाडा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।	
				जाजोता	पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।	
				डीडवाडा	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।	
		मसुदा	नन्दवाडा	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।		
				जवाजा	सुरडीया	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. पोषाहार समय पर उपलब्ध नहीं है।
					छछुंदरा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		जवाजा	सुरडीया	लामगरा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।	
				नागोली	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।	
				सिंगावल	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।	
					बाडिया भाउ	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				अतितमिंड	1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।	

			2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		सरवीना	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		बनजारी	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		बलाड	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		गोटाना	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		भेकखेडा	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
		देलवाडा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		शाहपुरा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		सातुखेडा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		जवाजा	1. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 4. पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है। 5. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जागरूकता अभियान आयोजन नहीं है।
		दुर्गावास	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		बराखन	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
		देवाला	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		नाईकला	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		रुपनगर	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।

				2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			तारागढ	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			दुर्गावास	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			बराखन	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			देवाला	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			नाईकला	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			रुपनगर	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
2	अलवर	किशनगढ बांस	खानपुर मेवान	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		मंडावर	पीपली	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			पेहल	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			कारोली	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 4. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			घमूकड	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			मूसाखेडा	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।

				3. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				4. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			खानपुर मेवान	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
				3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			बधेरी कला	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
3	भरतपुर	बयाना	फराना	1. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका नहीं है
				2. छात्र उपस्थिति रजिस्टर नहीं है
				3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			बन्धबारेठा	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
			कलसाडा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			सालावाद	छात्र उपस्थिति रजिस्टर नहीं है
			तरसुमा	1. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
				2. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			हरनगर	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				3. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका नहीं है
				4. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जागरूकता अभियान का आयोजन नहीं है
4	भीलवाडा	माण्डल	शिवपुर	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।

			पातलियास	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			बालवास	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			नीम का खेडा	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			बी.के. सरैरी	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			भावलास	1. स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजीका नहीं है। 2. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		आसिंद	आमेसर	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।
			परासोली	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			रघुनाथपुरा	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			पालडी	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			लाछुडा	स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजीका नहीं है।
			कालियास	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			झालरिया	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			इंरास	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			तिलोली	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			लांगलास	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
5	बीकानेर	कोलायत	खाखुसर	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			मंडाल चारवाण	1. छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है। 2. पोषहार से सम्बन्धित बर्तनो की कमी है

				3. पोषहार की मात्रा की कमी है
				4. स्कूल मैनेजमेंट की बैठक कार्यवाही पंजिका नहीं है
				5 मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				6. जागरूकता अभियान नहीं है।
				7. पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।
				8.आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		हदा		1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		नापासर		बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		खारिया पतावतान		1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		चाजी		बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		राणासर		बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		भोलासर		जागरूकता अभियान नहीं है।
		सांखला बस्ती		1. कुक कम हेलपर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				2. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		भाणेका गांव		मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		गिराजसर		1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		कोटडी		जागरूकता अभियान नहीं है।
		गुडा		छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
		कोलायत		किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
6	हनुमानगढ	पिलीबंगा	गोलवाला	स्टाक रजिस्टर का संधारण नहीं है।
7	जयपुर	फागी	मणडोर	1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
				3. राज्य स्तर से परिवहन की उपलब्धता नहीं है।
			लसाडिया	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।

			नारेडा	1. स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही की पंजीका नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			मेंदवास	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजीका नहीं है। 2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			सुल्तानिया	1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			फागी	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			भोजपुर	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. जागरूकता अभियान नहीं है।
			कुडली	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			मादी	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
8	झालावाड	झालरापाटन	कोलाना	1. खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजीका नहीं है। 3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
			सतोलिया	1. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 2. स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही की पंजीका नहीं है।
			पीपलोद	स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही की पंजीका नहीं है।
			तितरवासा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			सालरिवा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			जूनाखेडा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			झूमकी	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।

			रुपारेल	<p>1.किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।</p> <p>2. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।</p> <p>3. खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं है।</p> <p>3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।</p> <p>4. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।</p>
9	झुन्झुनूं	नवलगढ	कसेरु	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			नाहरसिघानी	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जागरूकता अभियान आयोजन नहीं है।
			सैनी नगर	पोषाहार की गुणवता, पोष्टिकता की स्थिति खराब है।
			तोगडा कला	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			पवाना	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			डुण्डलोत	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		सिंघाना	गुजरवास	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			गाडाखेडा	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			ढाढोता कला	1. पोषाहार की मात्रा में कमी है।
			भोदन	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		चिडावा	झुकाना	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
10	जोधुपर	बिलाड़ा	उडलियावास	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			पड़ासला कलां	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			भावी	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			खारिया मीठापुर	<p>1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।</p> <p>2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।</p> <p>3. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जागरूकता अभियान आयोजन नहीं है।</p>

			4. छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
		खाखरियां	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
	मंडोर	जाजोली फोजदार	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत जागरूकता अभियान आयोजन नहीं है।
		नान्दरा कला	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		जोजीवाल	1. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 4. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		गुजरवास	1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है। 2. स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है। 4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
		जाजिवाल विशनोनिया	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
	चामू	डेरिया	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		गोदेलाई	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
	बाप	जाम्बा	पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।
		देदासरी	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।

				3. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
				5. पोषाहार समय पर उपलब्ध नहीं है।
				6. पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।
		भाखरिया		छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
	पीपाडसर	बाडाकला		1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				2. छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
		बोयल		1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. पानी की उपलब्धता की स्थिति सही नहीं है।
		भुण्डाना		1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. किचन कम स्टोर की सुरक्षा एवं स्वच्छता की स्थिति खराब है।
		चिरढाणी		छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
	केरु	कराणी		बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		पालडी मांगलिया		1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
				2. कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका नहीं है।
				3. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
				4. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है।
				5. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
11	करौली	नादौती	गुढाचन्द्रजी	पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जाँच की स्थिति में नहीं है।
		हिण्डौन	ढिढोरा	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			तिघरिया	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			महूखास	किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			करसोली	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			घोसला	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			सौमला	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		टोड़ाभीम	कमालपुरा	छात्रों के स्वास्थ्य परिक्षण की सुविधा नहीं है।
12	पाली	सुमेरपुर	गोगरा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			पोमावा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।

			गोगरा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
		देसूरी	सासरी	1. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है। 2. स्वच्छता की स्थिति खराब है।
		कुम्हेरपुर	गोगरा	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
13	सीकर	धोद	मोरडूगा	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
		दातारामगढ़	सुलियावास	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
14	श्रीगंगानगर	एसबीएनआर	12 जीबी	1. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 2. किचन कम स्टोर की उपलब्धता नहीं है।
			7 जीबी	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		सूरतगढ़	करडु	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			गुड़ली	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
		घडसाना	खानूवाली	आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
15	उदयपुर	कुराबड	फिला	1. खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स नहीं है। 2. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 3. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			रामज	पानी की उपलब्धता की स्थिति सही नहीं है।
			बल्लभ	मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है।
			जिंक स्मेल्टर	1. बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है। 2. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन उपलब्ध नहीं है। 3. आपातकालिन मेडिकल की सुविधा नहीं है।
			बम्बोरा	जागरूकता अभियान नहीं है।
			बिछड़ी	बजट रजिस्टर का संधारण नहीं है।
			परमड़ा	1. पोषाहार की मात्रा में कमी है।

